d) 1, 2, 3

उत्तर: c)

चक्रवातों के लिए नाम चुनते समय, देशों को कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। यदि उन दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है, **तो चयन को अंतिम रूप देने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों (पीटीसी) पर पैनल द्वारा नाम स्वीकार किया जाता है। दिशानिर्देश निम्न हैं:**

* **प्रस्तावित नाम** (ए) राजनीति और राजनीतिक प्रतीक (बी) धार्मिक विश्वास, (सी) संस्कृतियों और (डी) लिंग से तटस्थ होना चाहिए

*नाम इस तरह से चुना जाना चाहिए कि इससे दुनिया भर में आबादी के किसी भी समूह की भावनाओं को ठेस न पहुंचे

*नाम कठोर नहीं होना चाहिए

* यह संक्षिप्त, उच्चारण में आसान और किसी के लिए भी अपमानजनक नहीं होना चाहिए

*नाम की अधिकतम लंबाई आठ अक्षर होनी चाहिए

* प्रस्तावित नाम उच्चारण में आसान होना चाहिए

* उत्तर हिंद महासागर के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम नहीं दोहराए जाएंगे। एक बार उपयोग करने के बाद, नामों को फिर से उपयोग नहीं किया जायेगा। इसलिए नाम नया होना चाहिए।

भारत द्वारा चुने गए कुछ नाम आम जनता द्वारा सुझाए गए थे। पीटीसी को भेजने से पहले नामों को अंतिम रूप देने के लिए एक आईएमडी समिति का गठन किया गया है।

2) निम्नलिखित में से कौन WMO/ESCAP (विश्व मौसम विज्ञान संगठन/एशिया और प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग) के सदस्य देश हैं?

1. भारत

2. ओमान

3. थाईलैंड

4. ईरान

5. सऊदी अरब

सही उत्तर कूट चुनिए:

a) 1, 2, 3, 4

b) 1, 3, 4, 5

c) 1, 2, 3

d) 1, 2, 3, 4, 5

उत्तर: d)

2000 में, WMO / ESCAP (विश्व मौसम विज्ञान संगठन / एशिया और प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग) (जिसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे) ने क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण शुरू करने के लिए फैसला किया। **WMO/ESCAP में 2018 में पांच और देशों - ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को शामिल किया गया।**

3) कभी-कभी समाचारों में चर्चित केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामला किससे संबंधित है?

a) निवारक निरोध कानून।

b) भारतीय दंड संहिता की धारा 124A

c) व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

d) भारतीय दंड संहिता की धारा 377

उत्तर: b)

केदार नाथ बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा दिए गए 1962 के फैसले ने भारतीय दंड संहिता की **धारा 124 ए (देशद्रोह) को बरकरार रखा था।** इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या किसी और तरह से घृणा या